फर्द अहकाम

2022/117

न्या य सहायक कलक्टर चौमूं
मालीराम वर्मा बनाम श्री कृषण शिक्षा शोध संस्थान

कदमा संख्या / वर्ष वाद : 54 / 2022

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अन्तर्गत धारा 166, 188 R.T. Act.	
	06/7/22	राकेश पारीक वकील ने दावा पेश किया रिपोर्ट है चुकी है। दावा दर्ज रजिस्टर है। प्रतिवादीगण की तलबी की जाए पत्रावली दिनांक 06/9/22 को पेश हो।	
	28/7/22	आज यह पत्रावली प्रा.पत्र विद्वा के पेश करने पर तलब की गयी। वादीगण मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हो गया है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रकरण को विद्वा किये जाने की अनुमति बाबत निवेदन किया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता राकेश पारीक द्वारा की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद को विद्वा किये जाने की अनुमति दी जाती है। वादीगण का वाद विद्वा के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	मालीराम कुमावत अम्बालाल अलिता अशोक कुमार रामोदर प्रसाद मंजु कुमावत सुरेश कुमावत

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema
Date: 2022.12.19 12:27:21
Reason: SelfAttested